>

Title: Need to pay outstanding dues under Crop Insurance Scheme to the farmers of Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज देश के अधिकांश राज्य बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित हैं। झारखंड के कई जिलों में खरीफ फसल की बुवाई नहीं हुई है। कई जिलों में धान का पौधा लगाने के बाद भी सूख गया है और जल गया है, जिसके कारण किसानों की पूंजी डूब गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि किसानों की पीड़ा यहीं खत्म नहीं होती है, झारखंड के किसानों को दो वर्ष से फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण कई किसान आर्थिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारा आग्रह है कि झारखंड के किसानों को फसल बीमा योजाना की बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें। अभी जो भारत सरकार के द्वारा अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर अविलम्ब राहत कार्य शुरु करवाया जाए और जो पीड़ित परिवार हैं, उन्हें सरकार के द्वारा मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाए। उन्हें बैंकों का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाए, ऋण की माफी कराई जाए।